इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018—श्रावण 6, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12530-252-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्निलखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जुलाई, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१८

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

[दिनांक २५ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २८ जुलाई, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

संक्षिप्त नाम.

भाग एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

- २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—
 - (१) धारा ५ में,--
 - (एक) खण्ड (१) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''(१-क)''मनोविनोद'' से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबकि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो;'';
 - (दो) खण्ड (२२-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''(२२-ख) ''मनोरंजन'' में सिम्मिलित है निम्निलिखित जब िक वह िकसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम, किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो :—
 - (एक) कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;
 - (दो) डी.टी.एच. सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
 - (तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
 - (चार) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन, संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि;
 - (पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता;
 - (छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन.

स्पष्टीकरण.—मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी;'';

- (२) धारा १३२ में,-
 - (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(च) किसी नगरपालिक निगम क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर.'';
 - (दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

- (तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
 - ''(३) उपधारा (१) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.''.

भाग दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन

- (१) धारा ३ में,-
 - (एक) खण्ड (१) को खण्ड (१-क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुर्नक्रमांकित किए गए खण्ड (१-क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - ''(१) ''मनोविनोद'' से अभिप्रेत है किसी मनोविनोद आर्केड या मनोविनोद पार्क या थीम पार्क या चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, में उपलब्ध कराया गया कोई मनोविनोद जबिक वह किसी स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो;'';
 - (दो) खण्ड (१०-ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''(१०-ग) ''मनोरंजन'' में सम्मिलित है निम्निलिखित जब कि वह किसी स्थानीय क्षेत्र में नकद में या किसी अन्य रीति में आर्थिक प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा चाहे वह अग्रिम, किस्तों में या किसी अन्य रीति में प्राप्त किया गया हो :—
 - (एक) कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;
 - (दो) डी.टी.एच. सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
 - (तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
 - (चार) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रिंगटोन, संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि;
 - (पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता;
 - (छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन.

स्पष्टीकरण.—मध्यप्रदेश के किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी;''.

- (२) धारा १२७ में,—
 - (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - ''(च) किसी नगरपालिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए मनोरंजन एवं मनोविनोद पर कर.'';

- (दो) उपधारा (२) का लोप किया जाए;
- (तीन) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
 - ''(३) उपधारा (१) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट कर के निर्धारण और संग्रहण की रीति तथा कर की राशि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

- ४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०१८ (क्रमांक ७ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.
- (२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12530-252-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 28 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 28 OF 2018 THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 25th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th July, 2018].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

PART I AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

- 2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—
 - (1) In Section 5,—
 - (i) after clause (1), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(1-a) "amusement" means any amusement provided in any amusement arcade or amusement park or theme park or by whatever name called, when provided in a local area for monetary consideration;";

- (ii) after clause (22-a), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(22-b) "entertainment" includes the following when provided in a local area for monetary consideration in cash or in any other manner, and whether received in advance, in instalments or in any other manner:—
 - (i) any exhibition, performance, amusement, game or sport to which persons are admitted;
 - (ii) entertainment provided by a direct to home (DTH) service provider through satellite;
 - (iii) entertainment provided by a cable operator through cable service;
 - (iv) ring tones, music, videos, movies, animations, games, jokes, etc. provided by a telecom service provider through telecom service;
 - (v) contests organised through telecom services by the telecom service provider or any person;
 - (vi) entertainment provided by any other technological means or device.
 - Explanation.- Services received by a person situated in a local area of Madhya Pradesh shall be deemed to have been provided within that local area;".
- (2) In Section 132,—
 - (i) in sub-section (1), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(f) a tax on entertainments and amusements provided by any person into a
 municipal corporation area.";
 - (ii) sub-section (2) shall be deleted;
 - (iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) The mode of assessment and collection and amount of the tax specified in clause (f) of sub-section (1) shall be such as may be prescribed.".

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961(No. 37 of 1961),-

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

- (1) In Section 3,—
 - (i) clause (1) shall be renumbered as clause (1-a) and before clause (1-a) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(1) "amusement" means any amusement provided in any amusement arcade or amusement park or theme park or by whatever name called, when provided in a local area for monetary consideration;";

- (ii) after clause (10-b), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(10-c) "entertainment" includes the following when provided in a local area for monetary consideration in cash or in any other manner, and whether received in advance, in instalments or in any other manner—
 - (i) any exhibition, performance, amusement, game or sport to which persons are admitted;
 - (ii) entertainment provided by a direct to home (DTH) service provider through satellite;
 - (iii) entertainment provided by a cable operator through cable service;
 - (iv) ring tones, music, videos, movies, animations, games, jokes, etc. provided by a telecom service provider through telecom service;
 - (v) contests organised through telecom services by the telecom service provider or any person;
 - (vi) entertainment provided by any other technological means or device.

Explanation.-Services received by a person situated in a local area of Madhya Pradesh shall be deemed to have been provided within that local area;".

- (2) In Section 127,—
 - (i) in sub-section (1) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(f) a tax on entertainments and amusements provided by any person into a municipal area.";
 - (ii) sub-section (2) shall be deleted;
 - (iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) The mode of assessment and collection and amount of the tax specified in clause (f) of sub-section (1) shall be such as may be prescribed.".

Repeal and saving.

- 4.(1) The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (No. 7 of 2018) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.